

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, श्री धीरेन्द्र कुमार, निदेशक, पता: 51, ए० पी० कॉलोनी, जिला-गया द्वारा गया फल्गु नदी बालू घाट संख्या: 07 मौजा-बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल-बेलागंज एवं खिजसराय, जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 28.06.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2287/2023, dated 14.02.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 27.05.2023 एवं संशोधित दिनांक 28.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गु नदी बालू घाट संख्या: 07 मौजा-बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल-बेलागंज एवं खिजसराय, जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री मुन्ना कुमार, पिता: पशुराम सिंह, ग्राम: पंचरूखी, जिला-गया।	इनके द्वारा कहा गया कि धूल-कण की रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाना है परन्तु लेसी द्वारा नहीं किया जाता है, तो वे क्या करेंगे। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि धूल-कण की रोकथाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव नियमति रूप से लेसी द्वारा किया जायेगा। लेसी द्वारा नहीं किये जाने पर ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है क्योंकि इनके द्वारा प्रति छः माह पर अनुपालन प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारी को जमा करना होता है। इसप्रकार श्री मुन्ना कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मुकेश कुमार (मुखिया), पिता: स्व० चैननारायण पासवान, ग्राम: पंचरूखी, जिला-गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन के दौरान कितने पेड़-पौधे लगाये जायेंगे; इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 170 पेड़-पौधा

		खाली जगहों पर लगाना है परन्तु और अधिक लागवाना चाहते हैं तो, लेसी को खाली जगह दिखाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधा लगाने हेतु कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधा लगाने की बात को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया। इसप्रकार श्री मुकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री बलिराम यादव, पिता: कारु यादव, ग्राम-लालगंज, जिला-गया।	इनके द्वारा बालू खनन से हमलोगों को क्या लाभ मिलेगा; इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा तथा ग्रामीणों के लिए पीने वाले जल की व्यवस्था आवश्यकतानुसार लेसी द्वारा की जायेगी। साथ ही बालू खनन होने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगा। इसप्रकार श्री बलिराम यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री उपेन्द्र यादव, ग्राम: मुरारचक, जिला-गया।	इनके द्वारा बच्चों को स्कूल जाने के समय बालू परिवहन से हो रहे सड़क जाम एवं दुर्घटना होने के संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बच्चों को स्कूल जाने एवं आने के समय बालू लदे वाहनों का संचालन नहीं किया जायेगा। अगर बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में दिनांक: 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इसप्रकार श्री उपेन्द्र यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री विनय कुमार (उपमुखिया), ग्राम: पंचलख, जिला-गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी को करना है। इसप्रकार श्री श्री विनय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	श्री अनुज कुमार, पिता: प्रमेश्वर महतो, ग्राम-पंचरुखी, जिला-गया।	इनके द्वारा बालू खनन के आस-पास ग्रामीणों के लिए बालू पर Royalty कम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 में लागू अधिनियम के अनुसार सरकार के द्वारा तय किया गया दर से रेट किसी के लिए कम नहीं होगा। इसप्रकार श्री अनुज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

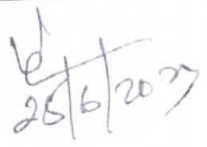
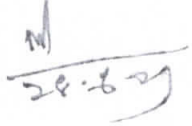
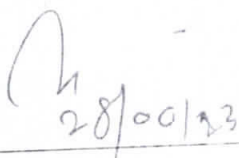
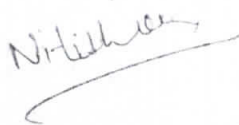
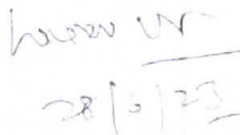
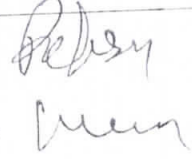
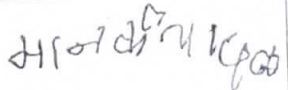
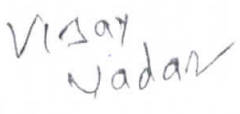
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गया


अपर समाहर्ता
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, श्री धीरेन्द्र कुमार, निर्देशक, पता: 51, ए० पी० कॉलोनी, जिला-गया द्वारा गया फल्गु नदी बालू घाट संख्या: 07 मौजा-बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल-बेलागंज एवं खिजसराय, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 28.06.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Manoj Kumar ADM, Gaya		 25/6/23
2.	Manoj Kumar	R.O. B.S.P.C.B. Gaya	 28.6.23
3.	Animesh Kumar SDC Cum HDO	Collector's Gaya	 28/06/23
4.	Nitish Kumar	Cognizance Research India Pvt. Ltd., Raja Bazar, Patna.	 Nitish Kumar
5.	Harman Kumar	Cognizance Research India Pvt Ltd Patna	 28/6/23
6.	Manoj Yadav	Manoj Yadav 9771630573	
7.	Rakesh Kumar	Vill Tarika. Bihar 9931536895	 Rakesh Kumar
8.	Manoj Kumar	तरका	 Manoj Kumar
9.	Vishay Yadav	Vill - Tarika 9334363681	 Vishay Yadav

10.	मोहेश यादव	ग्राम तरका 7295932101	मोहेश यादव
11.	उदय कुमार	ग्राम उदय 9162862361	उदय कुमार
12.	सुरेन्द्र यादव	ग्राम पंचमरव 8521377425	सुरेन्द्र यादव
13.	सुनील कुमार	ग्राम पंचमरव पौरो अग्रिम चोरी थ. 8521751498	सुनील कुमार
14.	सुनील कुमार	पंचमरव पौरो अग्रिम चोरी-थ. श्रीमल्लिक ग्राम 8084343323	सुनील कुमार
15.	शैलीत कुमार	ग्राम पंचमरव	शैलीत कुमार
16.	नरेन्द्र कुमार (वग)	ग्राम - पंचमरव पौरो ग्राम चोरी प्रवासिक ग्राम 8651266156	नरेन्द्र कुमार (वग)
17.	अनिल कुमार गुप्ता	ग्राम खजल्लाय 6202132934	अनिल
18.	कमलेश यादव	ग्राम मचक 9915995739	कमलेश
19.	मन्तु कुमार	ग्राम मचक 7888943416	मन्तु कुमार
20.	सतीश यादव	ग्राम मचक 7463939824	

21.	सनील यादव	ETG 9.42 8368380448	Sanjay Kumar
22.	दीनलाल	नं. दरका 9430970139	Haroon
23.	आनंद कुमार	पचल्ल 6200047968	Anand Kumar
24.	Vinay Kumar	davgawn. chinay Khyasat	Vinay Kumar
25.	आनंद कुमार	नं. 22080660 पचल्ल	34117 Vinay
26.	रविशंकर कुमार	ग्राम सौरा	रविशंकर कुमार
27.	अनुज कुमार सिन्हा	ग्राम - पचल्ल 7294824233	Anuj Kumar Singh
28.	जिनेन्द्र कुमार	ग्राम कनारली किशोर 9973590566	Jindendra Kumar
29.	गुणन कुमार	ग्राम पचल्ल री 9546068337	MK
30.	देवशर्मा पचल्ल	ग्राम पचल्ल री 8294464626	Devsharma
31.	Mukesh Kumar	Village - Pachalukh 8294316508	Mukesh Kumar

32.	वे लीराम पांडे	लापडा 4 9162376505	वे लीराम
33.	जंभा YHIS 4154	तरे ला 9931756054	जंभा YHIS
34.	उपेन्द्र माह	शांभु-मुरारचक्र पोस्ट अहिल मौ नं. 8409620778	Upendra yadav
35.	बिजय कुमार मेहरा	ग्राम पंचरुली, पो नं पंचरुली, पो नं पंचरुली जुहरी, राजस्थान विजयपुर जिला राय (गुडगांव) 7544076372	बिजय कुमार मेहरा
36.	मुनीरा देवी	ग्राम पंचरुली-2	मुनीरा देवी
37.	Somnath	dewgaon - chitruy Kharwar. 7260989552	Somnath
38.	Heeda Yadav	Balelchak (8521682165)	Heeda prasad
39.	Rakesh-kumar	Balelchak (6203029611)	Rakesh-kumar
40.	राजव माझी	समोरी थर 28	राजव माझी
41.	ललित-भावा	गुडगांव 2	ललित-भावा
42.	Kani Kumar	Tarkar	Kani Kumar Yadav

43.	Vinod Kumar	Tanika 9798222439	Vinod
44.	Niraj Kumar SHE	Neelakanta Sharma 9939203090	Niraj Kumar SHE
45.	Ashok Kumar	Harpreet 8210960148	Ashok Kumar
46.	Ram Singh Yadav	Arka 7782935921	Ram Singh Yadav
47.	Vishal Kumar	8789851554 Arka	Vishal
48.	Dilip Kumar	Arka 8757361635	Dilip Kumar
49.	Anurag Sharma	Arka 8002698907	Anurag
50.	Ravi Kumar	Prakash;	Ravi
51.			
52.			
53.			

27/5/23

लोक-सुनवाई की सूचना

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, श्री धीरेन्द्र कुमार, निर्देशक, पता: 51, ए० पी० कॉलोनी, जिला-गया (गया मोरहर नदी बालू घाट-07, मौजा-बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल-बेलागंज एवं खिजसराय, जिला-गया) द्वारा मोरहर नदी के बालू घाट (Gaya SON-07) में बालू खनन परियोजना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या: एस.ओ.1533, दिनांक: 14.09.2006 यथा संशोधित, के आलोक में परियोजना का TOR (Terms of Reference) निर्गत किया गया है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
28.06.2023	अपराह्न 02:00 बजे	बेलागंज एवं खिजसराय जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका	Gaya SON-07	अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करावेंगे।

सदस्य-सचिव



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल - msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट - <http://bspcb.bihar.gov.in>

